संचालनालय महिला सशक्तिकरण,म0प्र0

ब्लाक–2, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/मस/मूल्यांकन/2012–13/ 1931 भोपाल,दिनांक :23/01/2013

प्रति,

आहरण संवितरण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
संलग्न प्रपत्रानुसार
मध्यप्रदेश

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 के चतर्थ त्रैमास हेतु मांग संख्या–55–2235–02–103 –0101–6104–योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन (राज्य आयोजना) 51–अन्य के अंतर्गत ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन का मासिक किराया माह जनवरी 2013 से मार्च 2013 हेतु आवंटन।

....

विषयान्र्तगत वित्त विभाग से प्राप्त संसूचना एवं आयुक्त संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा की स्वीकृति दिनांक 24.4.2012 के परिपालन में ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन का मासिक किराया माह **जनवरी 2013 से मार्च 2013** हेतु संलग्न प्रपत्रानुसार 453 परियोजनाओं, 50 जिला कार्यालय, 10 शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं 07 संभागीय कार्यालयों को 1000/– मासिक किराये के आधार पर प्रति कार्यालय त्रैमासिक राशि 3000/– के मान से कुल राशि रू. 15,60,000/– (रू. पन्द्रह लाख साठ हजार मात्र) का बजट आबंटन चतर्थ त्रैमास हेतु मॉग संख्या **55–2235–02–103–0101–6104–51** अंतर्गत निम्न निर्देश/शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:–

1. ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन का मासिक किराये के रूप में माह **जनवरी 2013** से **मार्च 2013** तक है।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्राप्त आवंटन का उपयोग इसी त्रैमास में व्यय हेतु किया जाए।

11. किसी भी प्रकार के अनियमित आहरण एवं व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की रहेगी।

12. व्यय की गई राशि का मासिक व्यय पत्रक जिला स्तर अथवा संभाग स्तर पर संकलित रूप से तैयार कर सीडी एवं हस्ताक्षरयुक्त प्रगामी व्यय की रिर्पोट की हार्डकापी सहित माह की पॉच तारीख तक निश्चित रूप से संचालनालय को विशेष वाहक अथवा ई–मेल commwcd@mp.nic.in पर प्रेषित किया जावे।

13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रं. 90/2010/चार/ब–दिनांक **31.3.2010** द्वारा प्राप्त संसूचना अनुसार आयोजना बजट अनुमान त्रैमासिक आधार पर आबंटित किया जा रहा है। प्रथम से तृतीय तिमाही में प्रत्येक तिमाही के अन्त में शेष आबंटन अगली तिमाही में व्यय हेतु उपलब्ध नही होगा। तदानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

14. आबंटित राशि का व्यय करते समय शासन के निर्देशों, म.प्र. कोष संहिता, वित्त संहिता, भंडार क्रय नियम एवं संचालनालय से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों एवं मितव्ययता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें।

15. किसी भी दशा में आबंटन की प्रत्याशा में राशि का व्यय न किया जावे, इस प्रकार व्यय की गई राशि के लिये संचालनालय से बंटन जारी न होने की दशा में संबंधित अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

16. यदि किसी योजना अथवा मद अर्न्तगत आबंटित की गई राशि की आवश्यता न हो तो उस राशि को तत्काल संचालनालय को समर्पित किया जावें। समर्पित की गई राशि को संबंधित कोषालय के कम्प्यूटर में भी कम कराया जाये तथा समर्पित की गई राशि की कोषालय की आई.डी. क्रमांक, दिनांक एवं राशि की जानकारी मुद्रा प्रहरी साफ्टवेयर में भी उपलब्ध कराई जावे। केवल आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा राशि समर्पित किये जाने से समर्पण मान्य नहीं किया जावेगा।

17. बंटित राशि के व्यय के आंकडों का समय–समय पर दी गई समय सारणी के अनुसार महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में दर्ज आंकडों से मिलान किया जावें तथा स्थानान्तरण प्रविष्ठि की एक प्रति महालेखाकार कार्यालय में पदस्थ विभागीय मिलान दल एवं एक प्रति संचालनालय को भी अनिवार्य रूप से दी जावें ।

18. आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में मांगे जाने वाले अतिरिक्त आबंटन के प्रस्ताव बजट मे आबंटित मदों के अनुरूप ही प्रस्तुत किये जावे। बजट की मदों से भिन्न मदों में चाहे गये आबंटन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा

उक्त आवंटन राशि संबंधित कार्यालय प्रमुख के डी.डी.ओ. कोड में जारी की जा रही है। कृपया संलग्न प्रपत्र–1,2,3,4 अनुसार संबंधित अधिकारी राशि का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
(आयुक्त द्वारा स्वीकृत)

(पंकज मोहन)
वित्त सलाहकार
महिला सशक्तिकरण म.प्र.

क्र/ मस / मूल्यांकन /2012–13/ 1932 भोपाल, दिनांक 23/01/2013

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन महिला बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला कलेक्टर संबंधित जिला म.प्र., की ओर सूचनार्थ ।
5. संबंधित संयुक्त संचालक, संभाग कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
6. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी अधिकारो, संबंधित म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. बजट शाखा मुख्यालय की ओर की ओर सूचनार्थ
8 मूल्यांकन शाखा संचालनालय की ओर विभागीय ऑनलाइन वेब–साईट www.mpwcdmis.org में अपलोड करने हेतु।

वित्त सलाहकार
महिला सशक्तिकरण म.प्र.